

09.12.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र मे आवश्यक कार्यवाही नही कर रहे है। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को लगातार अवसर दिये जा रहे। उपस्थित नही आए। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

01/12/24

सहायक कलक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

